रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252739
CG-DL-E-08032024-252739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 1091] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का. आ. 1153(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—**(1) इस आदेश को जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छहमाह के बाद लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—**तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में सूक्ष्म उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—**भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी—**इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री	2095 (भाग 1):2011	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड
	17400:2021	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड ग्लास फाइबर रीइनफोर्स्ड जिप्सम पैनल
	2095 (भाग 2):2022	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड– कोटेड/लैमिनेटेड जिप्सम प्लास्टर बोर्ड
	2095 (भाग 3):2022	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड - रीइनफोर्स्ड जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, सीलिंग टाइल्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-31032/13/2023–सीमेंट]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1153(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) This Order may be called the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.:

2. **Compulsory use of Standard Mark.—**Goods or articles specified in Column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standards specified in Column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to small enterprises, as defined under clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of nine month from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to micro enterprises, as defined under clause (h) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

3. **Certification and enforcement authority.—**The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.—**Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Gypsum based Building Materials	2095 (Part 1):2011	Gypsum Plaster Boards
	17400:2021	Gypsum Plaster Boards Glass Fibre Reinforced Gypsum Panels
	2692: 1989	Gypsum Plaster Boards - Coated/ Laminated Gypsum Plaster Boards
	2095 (Part 3):2022	Gypsum Plaster Boards - Reinforced Gypsum Plaster Boards, Ceiling Tiles

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. . P-31032/13/2023-Cement]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.08 18:01:13 +05'30'